



भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र

BHOPAL MEMORIAL HOSPITAL & RESEARCH CENTER, BHOPAL

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH, MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA

रायसेन बाँयपास रोड, भोपाल-38(म.प्र.) Raisen By Pass Road, Bhopal-38 (M.P.) Tel: 0755-2742212-16

PARAMEDICAL COURSES

प्रवेश सत्र 2017-18

म.प्र. चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं म. प्र. सह-चिकित्सीय परिषद से अनुमति प्राप्त तथा म.प्र. चिकित्सा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध

सं. क्र.	पाठ्यक्रम	कोर्स का प्रकार	अवधि	सीट
1	एनेस्थीसिया टेक्नीशियन	डिप्लोमा	2 वर्ष	08
2	केथ लेब टेक्नीशियन	डिप्लोमा	2 वर्ष	06
3	डायलेसिस टेक्नीशियन	डिप्लोमा	2 वर्ष	06
4	मेडीकल लेब टेक्नीशियन	डिप्लोमा	2 वर्ष	15
5	ऑप्टोमेट्रिक एण्ड रिफ्रैक्शन टेक्नीशियन	डिप्लोमा	2 वर्ष	10
6	परफ्यूजन टेक्नीशियन	डिप्लोमा	2 वर्ष	06
7	एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन	डिप्लोमा	2 वर्ष	06
8	ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन	डिप्लोमा	2 वर्ष	10

पात्रता:-

- वह सभी उम्मीदवार जिन्होंने मा.शि.मंडल या बोर्ड से भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान मुख्य विषयों के साथ 12वीं (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं परफ्यूजन टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स हेतु बी.एस.सी. (बायोलॉजी ग्रुप) से उत्तीर्ण हो।
- प्रवेश के समय उम्मीदवार की आयु 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, म.प्र. के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा उक्त कोर्सों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 33 प्रतिशत एवं अन्य सभी उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य।
- आवेदन दिनांक 05.07.2017 से प्राप्त कर सकते हैं तथा आवेदन भरकर जमा करने की अंतिम दिनांक 15.07.17 है।
- प्रथम प्रवेश काउंसलिंग के पश्चात् रिक्त सीटों पर पुनः द्वितीय काउंसलिंग प्रवीणता सूची अनुसार आयोजित की जाएगी जिसकी जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दी जाएगी।
- आरक्षण जानकारी- अनु. जनजाति 20 प्रतिशत, अनु. जाति 16 प्रतिशत, विकलांग 3 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत, आरक्षण राजपत्र दिनांक 24.05.11 के अनुसार दिया जाएगा।
- प्रवेश हेतु अधिक जानकारी या सम्पर्क के लिये संस्थान की वेबसाइट www.bmhrc.org व स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करें या दूरभाष 0755-2742212-16 एक्सटेंशन 8822, 8823 पर संपर्क करें, एवं किसी भी प्रकार से जारी संशोधन के लिये उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें।